भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1116**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**महिलाओं के उत्‍पीड़न के मामले**

**1116. श्री टी. रतिनावेल:**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या यह सच है कि 41 प्रतिशत भारतीय महिलाएं 19 वर्ष की आयु की होने से पहले हिंसा का सामना करती हैं;

(ख) क्‍या यह भी सच है कि 6 प्रतिशत महिलाओं को 10 वर्ष की आयु की होने से पहले उत्‍पीड़न का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्‍या महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अपराध के लिए कम दोषसिद्धि होना जिम्‍मेदार है; और

(घ) यदि हां, तो क्‍या सरकार इस मुद्दे का प्रभावी समाधान किए जाने पर विचार कर रही है?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री

**(क) तथा (ख) : सरकार को ऐसी रिपोर्टों के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।**

**(ग) तथा (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूचि के अनुसार ‘पुलिस’ और ‘सार्वजनिक आदेश’ राज्‍य के विषय हैं, अत: अपराध के निवारण, पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्‍मेदारी राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के प्रशासनों की है ।**

 **महिलाओं के खिलाफ अपराधों के पीछे कई कारण हैं जैसे महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक असमानता जो पितृसत्‍ता और गहराई से पैठ की हुई सामाजिक-सांस्‍कृतिक रूढ़िवादिता; “परिवार या समुदाय का सम्‍मान” के धारक के रूप में महिला का प्रतीकीकरण आदि का प्रतिफल है । कानून के प्रति भय का अभाव जांच पूरी होने में विलम्‍ब होने के कारण हो सकता है या लगातार अपराध होने का एक कारण सजा की दर कम होना हो सकता है ।**

 **मंत्रालय विभिन्‍न विधानों के क्रियान्‍वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है और यदि जरूरी होता है तो उनके प्रभावशाली क्रियान्‍वयन के लिए उनमें यथा-आवश्‍यक संशोधन किए जाते हैं । कानूनों को सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल बनाने के लिए आपराधिक न्‍याय प्रणाली में संशोधन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है ।**

 **\*\*\*\*\***